न्यायालय : न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय माण्डल, भीलवाडा(राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS (अतिरिक्त कार्यभार)
फौजदारी प्रकरण संख्या – 275/2022
एफआईआर – 360/2022 पुलिस थाना मांडल
CNR No. – RJBW220006332022
राज्य

–– अभियोगी

– विरूद्ध –

अयूब पिता इब्राहिम मुसलमान उम्र 52 साल, निवासी लुहारिया, पुलिस थाना मांडल, जिला भीलवाड़ा।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा– 341, 323 भा.दं.सं.

01. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
02. विद्वान अधिवक्ता वासीफ खान पठान, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 07.03.2026**

घटना की दिनांक	11.10.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	12.10.2022
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	21.12.2022
आरोप सारांश सुनाए जाने की दिनांक	21.12.2022
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	21.12.2022
बयान मुलजिम लिए जाने की दिनांक	27.02.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	07.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	07.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	परिवीक्षा का लाभ दिया गया

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2022 को प्रार्थी मोहम्मद जिलानी ने थाना मांडल में रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 11/10/2022 को रात्रि के करीबन 8 बजे वह और उसके परिवार के सभी सदस्य घर पर ही खाना खा रहे थे उसकी पुत्री मन्ताशा बानु बर्तन धोकर गन्दे पानी को घर के बाहर नाली में डाल रही थी की कुछ पानी नाली में बाहर गिर गया और रोड पर निकल गया जिस पर उसका पडौसी अभियुक्तगण अयूब पिता श्री ईब्राहिम व उसका अमजत उसका भतीजा अमानत पिता श्री पटेल भाई, अयुब कि पत्नी जरीना बानु हमसलाह होकर अपने हाथ में लकडियां, सरिया लेकर अचानक उसकी पुत्री पर हमला कर दिया सरिये की सिर में मारी जिससे उसके खून बहने लग गये उसकी पुत्री के चिल्लाने पर वह दौड़ कर बीच– बचाव करने आया तो अभियुक्तगणों ने उसके साथ भी लातो घुसों से मारपीट की। हो हुल्ला की आवाज सुन कर मोहल्लेवासी इकट्ठा हो गये भीड को देख कर अभियुक्तगण अपने घर में घुस गये खून ज्यादा बहने से उसकी पुत्री मन्ताशा अचेत हो गई वह बडी मुश्किल से उसको माण्डल अस्पताल लेकर आया जहां उसके सिर में टाके आये........आदि। जिस पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 360/2022 धारा 323, 341/34

भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस थाना मांडल, भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्त अयूब के विरूद्ध धारा 323, 341 भा.दं.सं. के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 21.12.2022 को धारा 323, 341 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– अभियुक्त अयूब को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भा.दं.सं. के आरोप मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	डॉ मोना	चोट प्रतिवेदन की ताईद
पी.डब्ल्यू. 02	मोहम्मद जिलानी	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 03	तबस्सुम	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04	युसुफ पठान	फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 05	अब्दुल मुस्तफा	फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 06	असलम खां	घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 07	मासुम	घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 08	फकरुद्दीन	घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 09	मंतशा	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 10	हरदेव	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	मंताशा का चोट प्रतिवेदन
02	प्रदर्श पी 02	एक्सरे रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी 03	तहरीरी रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी 04	नक्शा मौका
05	प्रदर्श पी 05	चाक एफआईआर
06	प्रदर्श पी 06	मजरूब मंताशा का मेडिकल कराने हेतु तहरीर

अभियुक्त द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श डी 01	पुलिस बयान मोहम्मद जिलानी
02	प्रदर्श डी 01	पुलिस बयान मंताशा(सहवन से पुनः अंकित)
03	प्रदर्श डी 02	पुलिस बयान तब्बासुम

3– अभियुक्त अयूब का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो

अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य गलत होना तथा स्वयं के निर्दोष होने के कथन किए हैं। अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य पेश ना करना चाहने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

4– अभियुक्त ने अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

5– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.10.2022 को रोड़ लुहारिया में मोहम्मद जिलानी व उसकी पुत्री मंताशा को उनके घर पर सदोष अवरोध कारित किया व उसके साथ स्वैच्छया मारपीट कर साधारण उपहति कारित की?

2– यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा?

6– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

7– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिये कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। मोहम्मद जिलानी, तब्बसुम व मंताशा ने अभियुक्त अयूब के द्वारा मंताशा से मारपीट करने से इंकार किया है। पत्रावली में मोहम्मद जलानी का चोट प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। गवाह पीडब्लयू 04 युसुफ पठान ने उसे घटना की जानकारी नहीं होना बताया है। गवाह पीडब्लयू 06 असलम खां, पीडब्ल्यू 07 मासूम व पीडब्ल्यू 08 फकरूदीन ने उनके सामने कोई घटना व मारपीट नहीं होने का कथन किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किये है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

9– उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समग्र रूप से विश्लेषण करें तो प्रकरण में कुल 10 गवाह परीक्षित हुए हैं।

10– गवाह पी.डब्ल्यु 01 डॉ. मोना ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 11.10.22 को मेडिकल आफिसर के पद उप जिला चिकित्सालय मांडल में कार्यरत थी। उस रोज पुलिस थाना मांडल की तहरीर के आधार पर मंतशा पुत्री मो. जिलानी की चोटो का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया जो प्रदर्श पी 1 है जिसमें चोट संख्या 01– कटा हुआ घाव सिर पर तकरीबन 3 सेमी गुणा 0.5 सेमी गुणा 0.2 सेमी। उक्त चोट के लिए उसने राय रिजर्व रख एक्सरे की राय दी। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 है। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार फ्रेक्चर नहीं पाया गया तथा चोट सामान्य प्रकृति की पाई गई। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त सभी चोटें व्यक्ति के उंचाई से ठोस धरातल पर गिरने–पड़ने से भी आ सकती है।

11– गवाह पी.डब्ल्यु 02 मोहम्मद जिलानी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि घटना की तारीख उसे याद नहीं है। शाम साढे सात से आठ बजे की बात है। उसकी बेटी मंताशा ने उनके घर के बाहर दरवाजे पर पानी गिराया था जो पानी बाहर निकल गया था। और रोड पर आ गया जिस पर अयुब के लडके अमजद ने उसकी बेटी को कस्सी छोटा फावडा से सिर में मारा। उस समय वह वहीं था और उसने अमजद को उसकी बेटी को मारते हुए देखा था। अयुब व उसके भतीजे अमानद ने उसे पकड लिया था। फिर मोहल्ले के लोग इक्कटे हो गये थे

और उसे माण्डल अस्पताल लेके गये थे। अयुब और अमानद ने उससे मारपीट की उसको चोट नहीं आयी। घटना के टाइम उनके अलावा वहां कोइ नहीं था उसने पुलिस थाना माण्डल में एक रिपोर्ट दी प्रदर्श 03 है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श 04 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि उसके घर के बाहर नाली बनी हुई है यह बात सही है। यह बात भी सही है कि अभियुक्त अयुब का घर भी उसके सामने है। नाली की सफाई वे करते है नाली काफी समय पुरानी है जो जगह–जगह से फुटी हुई है। नाली के अंदर और उसके अलावा और किसी का पानी नहीं आता है। फुटी होने के वजह से रोड पर पानी निकल जाता है। पानी रोड पर हो इसका अयुब भाई ने ओलमा दिया हो और लडाई इस बात पर हुई है उन्होंने आते से ही मारपीट चालू कर दी। घटना कब की है उसे पता नहीं है। गंदा पानी बाहर निकल गया था उसकी वजह से लडाई हुई जो प्रदर्श 03 में अंकित है। यह बात सही है कि अयुब भाई ने उसकी बच्ची के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की थी। उसके कहीं पर भी चोट नहीं आई। रिपोर्ट उसने उसी दिन लिखा दी थी। रिपोर्ट उसने टाइप राइटर से लिखवाई। कितने दिन बाद पुलिस घटना स्थल पर आई हो इसका उसे पता नहीं है। नक्शा मौका कब बना उस तारीख का पता नहीं है। नक्शा मौके समय वहां पर मुस्तफा जो उसके चाचा का लडका है व लड्डु भाई उपस्थित थे। नक्शा मौका बनाया उस समय उनके तीनों के खाली कागज पर साइन करवाये जो प्रदर्श 04 है। प्रदर्श 04 मे क्या लिखा उन्हें पता नहीं है उन्होंने तो केवल साइन किये थे। रिपोर्ट लिखी हुई थी थाने में उसके बयान नहीं हुये। थाने मे ए से बी भाग उसने नहीं लिखाया जो डी ए 01 है। उनके बच्चे को ही बुलवाया था उनके कहीं बयान नहीं हुए। बच्ची का मेडिकल कराया था जिसकी तारीख उसे याद नहीं है। चोट प्रतिवेदन जो प्रदर्श 01 है उस पर उसके साइन करवाये थे।

12– गवाह पी.डब्ल्यु 03 तबस्सुम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि घटना की तारीख उसे याद नहीं है। शाम को चार–पांच बजे की बात है। उसकी बेटी मन्थसा स्कूल से घर आई थी तो उसके पैर से दरवाजे पर रखा हुआ पानी ढुल गया और पानी बाहर की तरफ सड़क पर आ गया। इस पर अमजद ने उनके साथ गाली गलौच की। इसके बाद अमजद ने उसकी बेटी के सिर पर कस्सी की मारी। जिस से उसकी बेटी के सिर पर चोट आई। उसके व उसके पति के साथ अयूब व अमजद ने मारपीट की। उसके अलावा किसी ने मारपीट नही की। उसके व उसके पति के कोई चोट नहीं आयी। जब लडाई–झगड़ा हो रहा था तब लड्डू भाई था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि उनके जो झगड़ा हुआ वो रोड पर पानी आने की वजह से ही हुआ। रोड़ पर नालियों का गंदा पानी नहीं जाता। रोड पर केवल नल का पानी ही जाता है। जब नल आता है। नल का पानी आता है। तब ही लड़ाईयां होती हैं। उसको पता नहीं है कि लड़ाई कब हुई। शाम को चार–पांच बजे की घटना है। उसे याद नहीं है। अयूब भाई ने उसके घरवाले के साथ हाथापाई की। मांडल थाने में उसके बयान नहीं हुए हैं। प्रदर्श डी 02 उसने नहीं लिखवाया।

13– गवाह पी.डब्ल्यु 04 युसुफ पठान ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि घटना की तारीख और समय उसे नहीं पता। वक्त घटना वह मौके पर नहीं था। उस वक्त वह मध्यप्रदेश में नीमच में था। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसके बीच में क्या हुआ उसे नहीं पता। वह तो जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने दोपहर को 01.30 बजे करीब मस्जिद जा रहा था तब रास्ते में उसने पुलिस वालों के कहने से नक्शे मौके पर साईन किए। नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि घटना के 4–5 दिन बाद प्रदर्श पी 4 पर साईन किए थे। पुलिस वाला उसका मिलने वाला है उसके कहने से खाली कागज पर साईन किए थे। साईन करते समय वह अकेला था। उसके अलावा और कोई नहीं था।

14– गवाह पी.डब्ल्यु 05 अब्दुल मुस्तफा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि 30 तारीख की बात है महिना साल उसे याद नहीं है। सुबह 08–09 बजे की बात है। वह उस वक्त उसके घर पर था। उसका घर मोहम्मद जिलानी के घर के पास ही है। वह चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाहर आया। उसने घर के बाहर आकर देखा कि जिलानी अपनी लड़की मन्ताशा को लेकर भाग रहा था। बाहर खड़े लोग बोल रहे थे कि मन्ताशा के सरिए की अमजद ने मारी है। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी।

प्रदर्श पी 4 नक्शा मौका है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब वह घर पर ही था। उसके सामने कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ। नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 पर साईन उसने थाने में खाली कागज पर किए थे।

15– गवाह पी.डब्ल्यु 06 असलम खां ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसने कुछ नहीं देखा। उसके सामने कोई घटना या मारपीट नहीं हुई। उसने किसी के लगते हुए नहीं देखा और ना ही सुना। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया। जिरह नहीं करना चाहा।

16– गवाह पी.डब्ल्यु 07 मासुम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसने कुछ नहीं देखा। उसके सामने कोई घटना या मारपीट नहीं हुई। उसने किसी के लगते हुए नहीं देखा और ना ही सुना। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया जिरह नहीं करना चाहा।

17– गवाह पी.डब्ल्यु 08 फखरूद्दीन ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसने कुछ नहीं देखा। उसके सामने कोई घटना या मारपीट नहीं हुई। उसने किसी के लगते हुए नहीं देखा और ना ही सुना। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया जिरह नहीं करना चाहा।

18– गवाह पी.डब्ल्यु 09 मनताशा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि यह उसे याद नहीं हैं कि आज से लगभग कितने समय पुरानी बात हैं। नल की बात को लेकर अयूब भाई और अमजद भाई ने उसकी मम्मी को बाते सुनाने लगें। इसके बाद उसके पापा मोहम्मद जिलानी आए तब अमजद भाई व अयूब भाई ने उसके पिता के साथ मारपीट की। इस समय वह अपने घर पर थी। जब उसके पिता पुलिस को फोन लगाने लगे तब अमजद भाई ने कस्सी से उसके सिर पर मारी जिससे उसके खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गई। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी01 है। उसकी एक्सरे फार्म प्रदर्श पी02 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि वह कक्षा 6 तक पढ़ी है। अयूब भाई और उनके झगड़ा उसके सड़क पर पानी डालने की वजह से ही हुआ था। अयूब भाई ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही उसके हाथ लगाया। उसके चौकी में बयान हुए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी01 का का ए से बी मार्क भाग उसने ही लिखवाया है।

19– गवाह पी.डब्ल्यु 10 हरदेव लाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 12.10.2022 को थाना माण्डल चौकी लुहारिया पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज आईसी थाना शंकर लाल जी एएसआई ने एफआईआर नम्बर 360/2022 अपराध धारा 341,323 आईपीसी का अनुसंधान उसके जिम्मे किया। मूल एफआईआर प्रदर्श पी 03 जिस पर सी से डी शंकर लाल जी के हस्ताक्षर है व ई से एफ पुलिस कार्यवाही का अंकन है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 है। दौराने अनुसंधान मजरूहान मन्ताशा के आई चोटों का चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 है व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 है। मजरूहान मन्ताशा का मेडिकल करवाने बाबत तहरीर प्रदर्श पी 06 है। बयान प्रार्थी मोहम्मद जीलानी व गवाहान तबसूम, सुश्री सन्ताशा, अब्दूल मुस्तफा, यूसुफ उर्फ लड्डू, मासूम खां, असलम व फकरूद्दीन के बयान उनके कथनानुसार लिये गये। घटनास्थल पर पहुंच प्रार्थी व मौतबिरान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द मूर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 04 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त अयूब पुत्र इब्राहिम मुसलमान निवासी लुहारिया पुलिस थाना माण्डल के विरूद्ध अपराध धारा 341,323 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली इंचार्ज थाना विनोद मीणा एसएचओ के समक्ष पेश की जिन्होंने अभियुक्त अयूब के विरूद्ध चार्जशीट कता कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि सम्पूर्ण तफ्तीश उसके द्वारा ही की गई है। नक्शा मौका उसके द्वारा बनाया गया व बयान भी उसके द्वारा लिये गये। यह कहना सही है कि नक्शा मौका मौके पर ही तैयार किया गया। अनुसंधान में पाया गया की घटना शाम की है। उसने अनुसंधान घटना के बाद दिनांक 18.10.2022 को शुरू किया था।

घटना दिनांक 11.10.2022 की है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.10.2022 की है क्योंकि वह दीगर प्रकरणों के अनुसंधान व डयूटी में व्यस्त था। मेडिकल दिनांक 11.10.2022 को डी. ओ. ऑफिसर द्वारा करवाया गया। मेडिकल रात्रि को करवाया गया। नक्शा मौका में स्वतंत्र गवाह युसुफ उर्फ लड्डू व अब्दुल मुस्तफा की मौजूदगी में बनाया। नक्शा मौका में घटना के आस पड़ौस प्रार्थी व आरोपीगण के अलावा पत्रावली देखकर बता सकता है।

20– पत्रावली पर प्रदर्शित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 का अवलोकन करने से जाहिर है कि यह तहरीरी रिपोर्ट मोहम्मद जिलानी द्वारा इस आशय की दर्ज कराई गई है कि दिनांक 11.10.2022 को 08 बजे मंताशा बानु बर्तन धोकर गंदे पानी को घर के बाहर नाली में डाल रही थी कुछ पानी नाली से बाहर गिर गया और रोड पर निकल गया। जिस पर उनका पड़ोसी अयूब, अमजत, अमानत व जरीना हमसलाह होकर अपने हाथ में लकडियां, सरिया लेकर अचानक उसकी पुत्री मंताशा पर हमला कर दिया। सरिये की सिर में मारी। जिससे उसके खून बहने लग गया। उसकी पुत्री के चिल्लाने पर वह बीच–बचाव कराने गया तो अभियुक्तगणों ने उसके साथ भी लातों घुसों से मारपीट की..........आदि।

21– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के संदर्भ में पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 02 मोहम्मद जिलानी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों मे घटना के समय 07.30–8.00 बजे उसकी बेटी मंताशा के द्वारा उनके घर के दरवाजे के बाहर पानी गिराने, पानी गिरकर रोड पर आ जाने, जिस पर अयुब के लडके अमजद के द्वारा उसकी बेटी के कस्सी छोटा फावडा से सिर पर मारने, अयुब व अमानत के द्वारा उसको स्वयं को पकड लेने व उसके साथ मारपीट करने, जिससे उसके चोट नही आने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि अयुब भाई ने उसकी बच्ची के साथ किसी तरह की मारपीट नही की। उसके कही पर भी चोट नही आई। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यु 02 मोहम्मद जिलानी ने घटना के समय अभियुक्त अयुब की मौके पर उपस्थिति बताकर उसके स्वयं के साथ मारपीट करने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यु 03 तबस्सुम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में घटना के समय उसकी बेटी का स्कुल से आकर दरवाजे के पास रखे पानी का ढुल जाने, पानी का सडक पर आ जाने, अमजद के द्वारा उसकी बेटी के सिर पर कस्सी की मारने, उसके व उसके पति अयुब व अमजद के द्वारा मारपीट करने, उसके व उसकी पति के चोट नही आने का कथन किया है। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यु 03 तबस्सुम घटना के समय अयुब की उपस्थिति बताकर अभियुक्त अयुब के द्वारा उसके व उसके पति के साथ मारपीट करने का कथन किया है। गवहा पीडब्ल्यु 09 मंताशा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में नल की बात को लेकर अयुब व अमजद के द्वारा उसकी मम्मी को सुनाने, अयुब व अमजद के द्वारा उसके पिता मोहम्मद जिलानी के साथ मारपीट करने व अमजद के द्वारा कस्सी से उसके सिर पर मारने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि अयुब भाई ने उसके साथ कोई मारपीट नही की। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यु 09 मंताशा ने घटना के समय अयुब की उपस्थिति बताकर अभियुक्त अयुब के द्वारा उसके पिता के साथ मारपीट करने का कथन किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के गवाहान पीडब्ल्यु 02 मोहम्मद जिलानी, पीडब्ल्यु 03 तबस्सुम व पीडब्ल्यु 09 मंताशा ने अभियुक्त अयुब की मौके पर उपस्थिति बताकर अभियुक्त अयुब के द्वारा मोहम्मद जिलानी के साथ मारपीट करने के कथन किये है। गवाह पीडब्ल्यु 10 हरदेव ने प्रकरण के अनुसंधान बाबत औपचारिक कथन न्यायालय के समक्ष किये है।

22– अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि पत्रावली पर मोहम्मद जिलानी का चोट प्रतिवेदन संलग्न नही है। मोहम्मद जिलानी ने तो स्वयं के चोट नही आने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त उक्त तर्क के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 में मोहम्मद जिलानी ने अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ लातो घुसो से मारपीट करने का अंकन किया है। गवाहान पीडब्ल्यु 02 मोहम्मद जिलानी, पीडब्ल्यु 03 तबस्सुम व पीडब्ल्यु 09 मंताशा ने अभियुक्त अयुब की मौके पर उपस्थिति बताकर अभियुक्त अयुब के द्वारा मोहम्मद जिलानी के साथ मारपीट करने के कथन किये है। इसके अलावा धारा 323 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्ध किये जाने हेतु जाहिरा चोट का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि धारा 319

भा0द0सं0 में में उपहति की परिभाषा दी गयी है, जिसमें यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीडा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना उपहति करना माना जावेगा तथा मजरूब मोहम्मद जिलानी ने अपने कथनों में स्पष्टतः मुलजिम अयुब द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने का स्पष्टतः कथन किया है, जो गवाह की जिरह में भी खण्डित नहीं हुये है। ऐसे में मारपीट में शारीरिक पीडा होना सम्भव है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उनकी कोई मदद नही करता है।

23— अधिवक्ता अभियुक्त का एक अन्य तर्क यह भी रहा है कि प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यु 4 युसुफ पठान ने उसे घटना की कोई जानकारी नही होने एवं गवाहान पीडब्ल्यु 06 असलम खां, पीडब्ल्यु 07 मासुम व पीडब्ल्यु 08 फकरूदीन ने उनके सामने कोई घटना व मारपीट नही होने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत यह है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को Quantity of Evidence ना देखकर Quality of Evidence देखना होता है। न्यायालय एक प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की गवाही पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर सकता है। गवाहान पीडब्ल्यु 02 मोहम्मद जिलानी, पीडब्ल्यु 03 तबस्सुम व पीडब्ल्यु 09 मंताशा ने अभियुक्त अयुब की मौके पर उपस्थिति बताकर अभियुक्त अयुब के द्वारा मोहम्मद जिलानी के साथ मारपीट करने के कथन किये है। जिस पर अविश्वास करने का कोई भी आधार न्यायालय के समक्ष नहीं है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उनकी कोई मदद नही करता हैं।

24— अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व निष्कर्ष के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष अभियुक्त अयुब के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भा.दं.सं साबित करने में सफल रहा है।

<u>——आदेश——</u>

25— अतः अभियुक्त अयूब पिता इब्राहिम मुसलमान उम्र 52 साल, निवासी लुहारिया, पुलिस थाना मांडल, जिला भीलवाड़ा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)

<u>— सजा के प्रश्न पर —</u>

26— सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि पत्रावली पर साबित नहीं है। घटना वर्ष 2022 की है। अतः अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

27— उभय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि, खराब आचरण, अभ्यस्त अपराधी होने बाबत् कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा घटना वर्ष 2022 की है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>——दण्डादेश——</u>

28— परिणामतः अभियुक्त अयूब पिता इब्राहिम मुसलमान उम्र 52 साल, निवासी लुहारिया, पुलिस थाना मांडल, जिला भीलवाड़ा राजस्थान को अपराध धारा 341, 323 भा.द.सं. के

तहत दोषी करार देते हुए उक्त अपराध के लिए अभियुक्त को तत्काल ही किसी कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उसने पूर्व में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं किया है तथा वह 10,000/- रुपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का बन्ध पत्र छः माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देगा कि वह दौराने अवधि शांति एवं सदाचार बनाये रखेगा अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा बन्ध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने व न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित होगा तो अभियुक्त को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। साथ ही अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा-5 के तहत 500 रुपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) जमा करवायेगा।

29- अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)

30- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)